

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 97 / 2024

उनवान

1. ग्यारसी देवी पत्नि भैरू जाति नाई नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. दुर्गा पुत्र भैरू जाति नाई नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नानालाल पिता गोकल अहिर नि० सगतपुरिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. श्री कालु पिता उदा जाति ब्राह्मण नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. गोपी पिता नन्दा अहिर नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. जमनी पत्नि नन्दराम जाति नाई नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. लाला पिता उदा जाति नाई नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. शंकर पिता छोगा गिर जाति गुसाई नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
7. कैलाशदेवी पत्नि बाबुलाल जाति ब्राह्मण नि० सुवावा तह. बस्सी जिला चित्तौडगढ(राज०)
8. रामलाल पिता नन्दा जाति अहिर नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
9. प्यारा पिता रामचन्द्र जाति नाई नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
10. नाना पिता रामचन्द्र जाति नाई नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
11. बंशी पिता रामचन्द्र जाति नाई नि० ओज्याडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 03.07.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 12.06.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ओज्याडा प०ह० ओज्याडा भू०अ०नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के आ.न. 119/2 रकबा 0.2023 है०, आ.न. 122 रकबा 0.1517 है०, आ.न. 124 रकबा 0.2655 है०, आ.न. 285 रकबा 0.0126 है०, कुल किता 04 रकबा 0.6321 है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.06.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 11 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम ओज्याडा प०ह० ओज्याडा भू०अ०नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के आ.न. 119/2 रकबा 0.2023 है०, आ.न. 122 रकबा 0.1517 है०, आ.न. 124 रकबा 0.2655 है०, आ.न. 285 रकबा 0.0126 है०, कुल किता 04 रकबा 0.6321 है०, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 03.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ